भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2408

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ और मृदा अपरदन की समस्या

2408. श्री राजीव रायः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा और घाघरा नदियों के कारण बार-बार आने वाली बाढ़ और मृदा अपरदन को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गंगा और घाघरा नदियों के बाढ़ क्षेत्र में फसलों को होने वाली वार्षिक व्यापक क्षति को रोकने के लिए इन नदियों पर तटबंधों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घाघरा नदी के प्रवाह-मार्ग पर तटबंध का निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिलों में बाढ़ के कारण हुई जान-माल की हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मऊ और बलिया जिलों में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए जारी की गई और उपयोग की गई निधि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार, गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा और घाघरा नदियों के कारण बार-बार आने वाली बाढ़ और मृदा कटाव को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की है।

दोनों नदियों अर्थात् गंगा और घाघरा के किनारे विभिन्न बाढ़ तटबंधों का निर्माण किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के किनारे निर्मित तटबंधों की कुल लंबाई लगभग 689.00 कि.मी. और गंगा नदी के किनारे लगभग 93.00 कि.मी. है।

बाढ़ की अवधि के दौरान, लखनऊ में एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24x7 चालू रहता है, जिसके माध्यम से नदियों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए संबंधित जिले के जिला प्रशासन को चेतावनी जारी की जाती है ताकि आम जनता को बाढ़ की किसी भी आपात स्थिति से बचाया जा सके।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित संवेदनशील/असुरक्षित स्थानों की पहचान की जाती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारियों के बहुमूल्य सुझावों पर विचार करते हुए तकनीकी रूप से व्यवहार्य बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं तैयार जाती हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थायी संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात उनका कार्यान्वयन किया जाता है।

(ङ): बलिया और मऊ जिलों में बाढ़ के कारण हुए जान-माल के नुकसान का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है।

(च): बलिया और मऊ जिलों में जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

"पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ और मृदा अपरदन की समस्या" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2408 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

बलिया और मऊ में बाढ़ से जान-माल का नुकसान

क्र. सं.	ज़िला	हैड	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	बलिया	जान-माल की क्षति	1	8	1	0	0
		घर की क्षति	68	60	0	105	121
2	मऊ	जान-माल की क्षति	8	0	0	0	0
		घर की क्षति	0	152	41	0	0

*****

अनुलग्नक-II

"पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ और मृदा अपरदन की समस्या" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2408 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

बलिया और मऊ जिलों में जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**ज़िला**	
	बलिया	**मऊ**
2019-20	42.13	8.46
2020-21	99.91	36.40
2021-22	111.65	2.85
2022-23	65.71	24.95
2023-24	62.30	24.02

*****